प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 30.12.2025

चोरी का अपराध कारित करने वाले 02 शातिर अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गीडा द्वारा गैंग लीडर भानू प्रताप गिरी उर्फ भानू गिरी पुत्र जनार्दन गिरी निवासी चिरैयाडाड़ थाना गीडा जनपद गोरखपुर व गैंग का 01 अन्य सदस्य चन्दन साहनी उर्फ राकी साहनी पुत्र बाले साहनी निवासी ग्राम मुसाबर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर भानू प्रताप गिरी उर्फ भानू गिरी उपरोक्त स्वयं और अपने गिरोह के 01 अन्य सदस्य चन्दन साहनी उर्फ राकी साहनी के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर चोरी का अपराध कारित करते हैं। गैंग के सरगना का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर भानू प्रताप गिरी उर्फ भानू गिरी उपरोक्त व गिरोह के अन्य 01 सदस्य चन्दन साहनी उर्फ राकी साहनी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

1. भानू प्रताप गिरी उर्फ भानू गिरी निवासी चिरैयाडाड़ थाना गीडा जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0सं0-395/2025 धारा 317(2),317(4),336(3) बीएनएस,थाना गीडा जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0स0- 337/2025 धारा 303(2),317(2),317(4)बीएनएस थाना गीडा गोरखपुर
iii. मु0अ0सं0-238/2025 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना गीड गोरखपुर
iv. मु0अ0सं0-120/2024 धारा 308,411,457 भादवि थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

2. चन्दन साहनी उर्फ राकी साहनी पुत्र बाले साहनी निवासी ग्राम मुसाबर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0सं0 395/2025 धारा 317(2),317(4),336(3) बीएनएस थाना गीडा गोरखपुर
ii. मु0अ0स0 337/2025 धारा 303(2),317(2),317(4)बीएनएस थाना गीडा गोरखपुर
iii. मु0अ0सं0 238/2025 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना गीड गोरखपुर